सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **233** राँची**,** शुक्रवार

28 फाल्गुन, 1937 (श०)

18 मार्च, 2016 (ई०)

राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

17 मार्च, 2016

विषय- राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**1380/**रा.**,** दिनांक **1** अप्रैल**,** 20**15** के द्वारा गठित विशेष जाँच दल **(SIT)** का अवधि विस्तार करने के संबंध में।

संख्या-**6/SIT** का गठन-**472/15-1142/--**भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत् झारखण्ड की जनजातियों की भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम**, 1908** एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम**, 1949** नौवीं अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम**, 1908** एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम**, 1949** के विभिन्न धाराओं में जनजातियों की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रदत्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर जनजातियों की भूमि तथा साथ ही साथ सरकारी भूमि का हुए अवैध हस्तांतरण की जाँच हेतु मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **24** मार्च**, 2015** की मद संख्या-**05** के रूप में प्रदत्त अनुमोदन तदोपरांत राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**1380/**रा.**,** दिनांक **01** अप्रैल**, 15** के द्वारा

विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** का गठन किया गया है जिसका निर्धारित कार्यकाल **01 (**एक) वर्ष की समाप्ति दिनांक-**31** मार्च**, 2016** को हो रहा है।

2. विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** के पत्रांक-**81/SIT** दिनांक-**04.03.2016** के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यकाल यानी दिनांक **31** मार्च**, 2016** तक अंतिम जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

3. विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** द्वारा अबतक दो अंतरिम प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया गया है। जाँच कार्य अबतक पूर्ण न होकर प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त भूमि के अवैध अंतरण के संदेहास्पद मामलों के हालिया प्रकाश में आने के कारण विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** के जाँच का दायरा विस्तृत हो गया है।

4. अतः विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** की आवश्यकता के दृष्टिपथ में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **15** मार्च**, 2016** के मद सं**0-25** के अंतर्गत प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का संशोधित संकल्प ज्ञापांक-**1380/**रा.**,** दिनांक-**01.04.15** के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के जमीन के अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि अवैध हस्तांतरण के उच्च स्तरीय जाँच हेतु गठित विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** का कार्यकाल **01 (**एक) वर्ष के लिए यानी दिनांक- **31** मार्च**, 2017** तक के लिए अवधि विस्तार किया जाता है।

5. राजस्व विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-**1381/**रा.**,** दिनांक-**01** अप्रैल**,** 20**15** के द्वारा विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** के अध्यक्ष के रूप में श्री देवाशीष गुप्ता**,** से.नि. भा.प्र.से. का मनोनयन**,** ज्ञापांक-**1832/**रा.**,** दिनांक **1** मई**, 2015** के द्वारा विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** को प्रत्यायोजित शक्ति तथा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-**2071/**रा.**,** दिनांक **13** मई**,** 20**15** के द्वारा अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य **03 (**तीन) सदस्यों का मनोनयन तथा विभागीय राज्यादेश संख्या-**4272/**रा.**,** दिनांक **3** सितम्बर**,** 20**15** के द्वारा विशेष जाँच दल **(Special Investigation Team)** को क्रियाशील रखने हेतु **01** अध्यक्ष**, 02** सदस्यो एवं **01** सचिव के सृजित पद अगले **01 (**एक) वर्ष यानी **31** मार्च**, 2017** तक प्रभावी रहेगा।

6. विशेष जाँच दल के सदस्य के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के रूप में नामित पदाधिकारी के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी से संशोधित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 233—50 ।